17

संख्या–ई–8–1740/दस–11–89/2004

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 28 नवम्बर, 2011

विषयः– शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ, जिन्हें शासनादेश संख्या ई–8–1009/दस–06–89/2004, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा रू0 2.50 करोड़ तक की लागत के गैरमानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ तक की लागत के मानकीकृत भवन निर्माण के कार्यों हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी घोषित किया गया था, की निर्धारित लागत सीमा को समाप्त करते हुए शासनादेश संख्या ई–8–1053/दस–2010–89/2004, दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा रू0 2.50 करोड़ से अधिक के लागत के गैरमानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्य हेतु कतिपय शर्तों के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में घोषित किया गया।

2. उक्त शासनादेश संख्या ई–8–1053/दस–2010–89/2004, दिनांक 30 अगस्त, 2010 में निर्धारित शर्तो पर विचारोपरान्त उक्त राजकीय निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश संख्या ई–8–1009/दस–06–89/2004, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 की सीमा तक अधोक्रमित (डाउनग्रेड) किया जाता है।

3. शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2006 एवं सपठित शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2010 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
मुख्य सचिव।

———क्रमशः पृष्ठ–2/–

संख्या–ई–8–1740(1)/दस–11–89/2004–तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, को शासनादेश ई–8–1053/दस–2010–89/2004, दिनांक 30 अगस्त, 2010 के प्रस्तर–2 के उप 'ख' एव 'ग' में उल्लिखित शर्तो के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

(वी0के0एल0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या–ई–8–1740(2)/दस–11–89/2004–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, जल निगम उ0प्र0।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम लि0।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबंध निदेशक , उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ।
11. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ ।
13. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

(वी0के0एल0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।